



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31-01-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में युवती के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30.01.2024 को वादिया/पीडिता द्वारा लिखित तहरीर बाबत जतिन द्वारा वादिया के साथ वादिया के घर पर दुष्कर्म करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 040/24 धारा 452/376/506 भादवि के पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.01.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **अभियुक्त जतिन अधाना पुत्र स्व0 जगमाल निवासी तिगरिया भूड थाना गजरौला जनपद अमरोहा** को रोडवेज बस स्टैण्ड, अग्रसेन चौक से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जतिन अधाना पुत्र स्व0 जगमाल निवासी तिगरिया भूड थाना गजरौला जनपद अमरोहा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री धीर सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 275 सचिन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालने में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष नानौता के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सादिक पुत्र सादिन निवासी मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 1813/17 अपराध संख्या 176/17 धारा 392/411 भादवि थाना नानौता गिरफ्तार किया गया। वारंटी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- सादिक पुत्र सादिन निवासी मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर

अभियुक्ता सादिक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 382/17 धारा 392/411 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
- 2- मु0अ0सं0 176/17 धारा 392/411 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
- 3- मु0अ0सं0 191/17 धारा 414 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
- 4- मु0अ0सं0 192/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
- 5- मु0अ0सं0 247/17 धारा 380/411 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 597 मोहसीन थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4. एचजी 2030 जीशान थाना नानौता जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30.01.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान चाँद कालोनी मोड कस्बा देवबन्द चौकी मंगलोर रोड के पास से 01 अभियुक्त मनोज पुत्र शेर सिंह निवासी सैनी की सराय कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसक कब्जे से 20 लीटर नायाजय कच्ची शराब बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 43/2024 धारा 60(1) आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिकर कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मनोज पुत्र शेर सिंह निवासी सैनी की सराय कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 संजय सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. कां0 2019 राहुल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.01.2024 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा फरार चल रहे 01 वारण्टी अभियुक्त नरेश उर्फ नन्हा पुत्र सुक्कड नि0ग्राम रण्डौल थाना बेहट जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद स0- 962/2022 धारा 60/62आ0अधि0 व 272/273/420 भादवि थाना बेहट को ग्राम रण्डौल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त वारण्टी का नाम व पता-

1. नरेश उर्फ नन्हा पुत्र सुक्कड निवासी रण्डौल थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 538 प्रदीप हुड्डा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31-01-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 415 लीटर कच्ची शराब मय भट्टी व शराब बनाने के उपकरण सहित 02 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अवैध शराब की बिक्री व निर्माण में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये चैकिंग अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री परविंदर पाल सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.01.2024 को थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तगण **1. सतीश पुत्र ब्रजपाल नि0ग्रा0 चन्दपुर मजबता थाना बडगाँव जिला सहारनपुर व 2. प्रदीप पुत्र तेजपाल नि0ग्रा0 चन्दपुर मजबता थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर** को 415 लीटर कच्ची शराब, भट्टी एवं शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडगाँव पर मु०अ०स० 22/24 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया | अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है |

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:-

1. सतीश पुत्र ब्रजपाल नि0ग्रा0 चन्दपुर मजबता थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
2. प्रदीप पुत्र तेजपाल नि0ग्रा0 चन्दपुर मजबता थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

बरामदगी :-

415 लीटर कच्ची शराब
01 भट्टी
शराब बनाने के उपकरण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

5. प्रभारी निरीक्षक श्री परविंदर पाल सिंह थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।
6. उ०नि० श्री भारत सिंह थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।
7. उ०नि० श्री बिजेंद्र शर्मा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।
8. का० 2378 सनी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।
9. एचजी 2077 सतीश थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31-01-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01, सहारनपुर द्वारा जनपद स्तर के टॉप -10 अपराधी सहित कुल 10 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास तथा 03 लाख 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 28.11.2014 को वादी मुकर्रम अली पुत्र जमील निवासी थीतकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. सरफराज पुत्र इकराम, 2. गय्यूर पुत्र इरफान, 3. सलीम पुत्र अशफाक, 4. लुकमान पुत्र इस्लाम, 5. सत्तार पुत्र इकराम, 6. मशरूर पुत्र इरफान, 7. शानू पुत्र इस्लाम, 8. सय्यैद पुत्र इमरान, 9. उस्मान पुत्र इस्लाम उर्फ इस्माईल (जनपद स्तर पर टॉप टैन अपराधी), 10. सरताज पुत्र इकराम व 11. इकराम पुत्र अशफाक समस्त निवासीगण थीतकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा एक राय होकर तमंचे, लाठी-डण्डो व तलवार से लैस होकर वादी के चाचा आलमगीर को घर में घुसकर जाने से मारने की नीयत से गोली मारकर हत्या कर देना तथा सनव्वर की गोली लगने से ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने, गाली-गलौच करना व गांव में अफरा-तफरी का माहौल पैदा करने की सूचना पर मु0अ0सं0 892/2014 धारा 147,148,149, 452,302,307,504,506 भादवि व 07 क्रिमिनल लॉ अधिनियम थाना देवबन्द पर पंजीकृत कराया गया। न्यायालय में 550 पेज का आरोप पत्र जिसका आरोप पत्र सं0 83/2015, दिनांक 26.08.2015 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया जिसमें कुल 20 गवाह परिक्षित हुए एवं माननीय न्यायालय में उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 238/2015, पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 01 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में "OPERATION CONVICTION" में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 01, सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 31.01.2024 को अभियुक्तगण 1. सरफराज पुत्र इकराम, 2. गय्यूर पुत्र इरफान, 3. सलीम पुत्र अशफाक, 4. लुकमान पुत्र इस्लाम, 5. सत्तार पुत्र इकराम, 6. मशरूर पुत्र इरफान, 7. शानू पुत्र इस्लाम, 8. सय्यैद पुत्र इमरान, 9. उस्मान पुत्र इस्लाम, व 10. सरताज पुत्र इकराम उपरोक्त को मु0अ0सं0 892/2014 धारा 147,148,149,452,302,307,504,506 भादवि व 7 क्रि0ला0 एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 30,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा अभियुक्त इकराम पुत्र अशफाक निवासी थीतकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की मृत्यु हो गयी।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री सोहनवीर सिंह

विवेचक रि0 क्षेत्राधिकारी श्री बृजपाल सिंह जाखड़ मो0न0- 9456457897

पैरोकार है0का0 984 विपिन कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।